प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.07.2025

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना कारित करने वाला 01 शातिर लुटेरा पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, लूट की घटना से सम्बन्धित 01 चैन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड का विवरण – थाना मोदीनगर क्षेत्रांतर्गत लूटपाट की घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग के दौरान आज दिनांक 20.07.2025 को मुखबिर की सूचना के आधार पर बुदाना की ओर की तरफ आने वाले रोड पर एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को आता हुआ देखकर पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया परन्तु मोटरसाइकिल सवार दोनो व्यक्ति नहीं रुके तथा मोटरसाइकिल को तेजी से मोड़कर दाहिने पड़े खाली मैदान की तरफ की तरफ भागने लगे तभी पुलिस द्वारा पीछा करने पर पुलिस से बचकर भागने की जल्दी व हडबडाहट मे मोटरसाइकिल फिसलकर रोड पर गिर गई उन दोनो व्यक्तियो ने अपने आप को पुलिस से घिरा देखकर पुलिस के हवाले करने के बजाय स्वयं को घिरा हुआ देखकर उन दोनों बदमाशों ने अपने पास लिए तमंचे से पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया। जिससे पुलिस टीम बाल-बाल बची। कार्यवाही के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा अपना बचाव करते हुये साहस का परिचय देते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही व न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुये फायर कर रहे बदमाशों पर जवाबी फायर किया गया। जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। जिससे बदमाश घायल होकर नीचे गिर गया। तथा दूसरा अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। पकड़े गए संदीप पुत्र सुनील निवासी सीमापुरी दिल्ली बताया तथा भागे हुए अपने साथी का नाम श्री राम निवासी मंडोली दिल्ली बताया अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, लूट की घटना से सम्बन्धी चैन व घटना में प्रयुक्त 01मोटर साईकिल बरामद हुई। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 3.07.2025 को करीब 3 दिन बजे मोदीनगर स्टील फैक्ट्री का गेटसे ई रिक्शा सवार एक महिला के गले से एक चैन लूट की घटना की थी। इस घटना मेरे साथ मेरा साथी श्री राम पुत्र में सिंह निवासी मंडोली हर्ष विहार दिल्ली था । मेरे से जो चेन बरामद हुई है यह इस घटना की है और यह मोटरसाइकिल भी हम इस घटना के समय लिए हुए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

संदीप पुत्र सुनील निवासी सीमापुरी दिल्ली

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, लूट की घटना से संबंधित चैन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम कौशांबी एवं दिल्ली के करीब 32 मुकदमे पर लूट व छिनैती से संबंधित पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 20.07.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित अभियुक्त आहद पुत्र नसीर अहमद निवासी मोहल्ला नाला निकट मकतमियां मदरसा थाना कोतवाली सम्भल जिला सम्भल उम्र करीब 25 वर्ष को चौकी क्षेत्र सिग्नेचर सिटी थाना ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना रखा है। मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर गौकशी जैसे अपराध कारित किये हैं जिसमें मैं और मेरे साथी पूर्व में जेल भी जा चुके हैं।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
आहद पुत्र नसीर अहमद निवासी मोहल्ला नाला निकट मकतमियाँ मदरसा थाना कोतवाली संभल जिला संभल उम्र करीब 25 वर्ष।
आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग -
अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर गौकशी का 01 अभियोग, पुलिस मुठभेड़ व आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग तथा गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।
(कुल अभियोग -03)। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
गिरफ्तारी करने वाली टीम-
थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का सदस्य गिरफ्तार, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं चार राज्यों की करीब 6,84,80,962 रुपये की कुल 7 घटनाओं का खुलासा, 6 लाख रुपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 04 एटीएम, 02 चेकबुक, 05 चेक, 02 मोहर बरामद।

श्री अंकित रस्तोगी निवासी इन्दिरापुरम गाजियाबाद के साथ क्रिप्टो करेन्सी में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर 1,82,68,090/- रुपये की साइबर फ्राड की घटना हुई, किरन नाम की लड़की द्वारा फेसबुक पर वादी से दोस्ती कर उसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ कर वेबसाइट https://coinex-vip2.com पर CoinEx से मिलता जुलता एप बनाकर क्रिप्टो करेन्सी में निवेश के बहाने साइबर ठगी की घटना की गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री अंकित रस्तोगी द्वारा दिनांक 18.07.2025 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

इस मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त सुमित जिन्दल को साइबर अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन, एटीएम 04, 02चेकबुक, 05 चेक, 02 मुहर, 06 लाख रुपये नगद व अन्य अभियुक्तों के साथ हुई व्हाट्सअप चैट के साथ थाना क्षेत्र विजय नगर गाजियाबाद से दिनांक 19.07.2025 को गिरफ्तार किया गया है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त सुमित ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक गैंग है, जिसके सदस्य लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये व्हाट्सएप ग्रुपों से जोड़कर, लिंक भेजकर फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट https://coinex-vip2.com व Coinex-VIP2.com में अकाउन्ट खुलवाकर क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश के बहाने रुपये ट्रांसफर कराकर साइबर फ्रॉड की घटना करते हैं। इनके गैंग में महिलाओं द्वारा फेसबुक पर लोगों से दोस्ती कर उन्हें विश्वास में लेकर क्रिप्टो/शेयर ट्रेडिंग में अत्यधिक मुनाफा का प्रलोभन दिया जाता है। इस तरह विश्वास में लेकर लोगों का क्रिप्टो/शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट में ट्रेडिंग खाता खुलवाकर उनसे इन्वेस्टमेन्ट के नाम पर विभिन्न बैंक खातों में पैसे जमा कराये जाते हैं। अभियुक्त सुमित जिन्दल का इस पूरे साइबर ठगी में खाते उपलब्ध कराने का काम था। इसके द्वारा उपलब्ध कराये गये खाते में फ्राड का पैसा आने पर यह 10 प्रतिशत कमीशन लेकर शेष कैश अन्य अभियुक्तों को दे देता था।

अभियुक्त सुमित जिन्दल से बरामद खातों के प्रपत्र से जनपद गाजियाबाद में साइबर क्राइम थाने पर पंजीकृत श्री अंकित रस्तोगी से हुए 1,82,68,090 रुपये के फ्रॉड की घटना तथा गौतमबुद्धनगर के साइबर क्राइम थाने पर पंजीकृत श्री अशोक अग्रवाल के साथ हुई 3,26,00,000 रुपये के फ्रॉड की घटना का खुलासा हुआ।

अभियुक्त के पास से जनपद गाजियाबाद में साइबर क्राइम थाने पर पंजीकृत श्री अंकित रस्तोगी के मुकदमे से सम्बन्धित साइबर फ्रॉड के 6 लाख रुपये नगद की बरामदगी हुई है।

अभियुक्त सुमित जिन्दल से बरामद साक्ष्य से आन्ध्रप्रदेश के गुन्टूर की Radhika vasireddy के साथ हुए 59,00,000/- रुपये, कर्नाटका के UTTARA KANNADA निवासी Mohammed Wayez के साथ हुई 87,50,872.55/- रुपये, रमाबाई नगर, उत्तर प्रदेश के जितेन्द्र कुमार पाठक के साथ हुई 17,30,000/- रुपये, आगरा, उत्तर प्रदेश के संदीप मल्होत्रा के साथ हुई 4,00,000/- रुपये, दिल्ली के अंकुर तिवारी के साथ हुई 8,32,000/- रुपये

की साइबर अपराध की घटनाओं का खुलासा हुआ। इस प्रकार जनपद गाजियाबाद व गौतमबुध्द नगर की घटनाओं को मिलाकर कुल 7 घटनाओं में 6,84,80,962 रुपये की साइबर ठगी का खुलासा हुआ।

अभियुक्त सुमित जिन्दल के अन्य 3 साथियों की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सुमित जिन्दल पुत्र रामकिशन जिंदल निवासी सी 6/63 सेकण्ड फ्लोर सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली, उम्र करीब 45 वर्ष, शिक्षा-स्नातक।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त 1 अदद मोबाइल फोन, 04अदद एटीएम, 02अदद चेकबुक, 05अदद चेक, 02 मुहर, 06 लाख रुपये नगद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा मारपीट कर शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.07.25 की रात्रि में थाना मसूरी क्षेत्र में पेरीफेरल उतार पर बम्बे के पास हरियाणा की तरफ से आ रही बसों में सवारी बैठाने को लेकर आपस में बसों के हेल्परों व ड्राइवरों में आपस में गाली-गलौच करना, जान से मारने की धमकी देना व लाठी डन्डों से मारपीट कर एक बस का शीशा क्षतिग्रस्त किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में चौकी प्रभारी जेल द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर धारा 191(2) /193(3)/115(2)/125/352/351(2) बीएनएस बनाम अभियुक्तगण 1. नाजिम पुत्र इंशाल्लाह (बस न0 NL07B6767 का ड्राईवर) 2. सलमान पुत्र समशेर (बस हेल्पर) 3. गुड्डू पुत्र आसिफ (बस हेल्पर) 4. जैद पुत्र तरीकत 5. सारीब पुत्र भूरे 6.वाजिब पुत्र आरिफ (बस UP63AT9643 का ड्राईवर) 7.शकील उर्फ वकील पुत्र इकरामुद्दीन व दोनों पक्षों के 5-6 अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पजीकृत किया जिसमें घटना में संलिप्त 05 अभियुक्तगण 1.नाजिम पुत्र इंशाल्लाह निवासी ग्राम अट्टसैनी थाना गढमुक्तेश्वर हापुड उम्र करीब 30 वर्ष 2. सलमान पुत्र समशेर निवासी ग्राम किठोर मेरठ उम्र करीब 23 वर्ष 3. गुड्डू पुत्र आसिफ निवासी ग्राम किठोर मेरठ उम्र करीब 19 वर्ष 4. जैद पुत्र तरीकत निवासी ग्राम सिमोश थाना मुंडाली मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष 5. सारीब पुत्र भूरे निवासी मसूरी थाना मसूरी उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा बस न0 UP63AT9643 को 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि हमारा आपस में एक-दूसरे के साथ अपनी-अपनी गाड़ी में सवारी भरने को लेकर विवाद हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.नाजिम पुत्र इंशाल्लाह निवासी ग्राम अट्टसैनी थाना गढमुक्तेश्वर हापुड उम्र करीब 30 वर्ष।

2. सलमान पुत्र समशेर निवासी ग्राम किठोर मेरठ उम्र करीब 23 वर्ष।

3. गुड्डू पुत्र आसिफ निवासी ग्राम किठोर मेरठ उम्र करीब 19 वर्ष।

4. जैद पुत्र तरीकत निवासी ग्राम सिमोश थाना मुंडाली मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष।

5. सारीब पुत्र भूरे निवासी मसूरी थाना मसूरी उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा 10 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर हत्या कर देने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल ईंट का अद्दा व ऑटो बरामद।

दिनांक 10.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी श्री रवि निवासी सेवाधाम महामाया कुन्ज गली न0-02 लोनी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि वादी के 10 वर्षीय बच्चे का घर के बाहर से खेलते समय कहीं चले जाना और वापस ना आना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तलाश हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 19.07.2025 को सर्विलांस एवं स्थलीय छानबीन के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आया कि उपरोक्त बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गयी एवं उपरोक्त घटना कारित करने वाले प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.धर्मेन्द्र उर्फ राजू पुत्र महेन्द्र निवासी महामाया कुंज थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 59 वर्ष 2. रोहित उर्फ कृष्णा पुत्र धर्मेन्द्र उर्फ राजू निवासी महामाया कुंज थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 3.गुड्डू पुत्र आशिक आलम निवासी डी-540 गली नम्बर-01 अशोक नगर दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही से थाना क्षेत्र नरेला इण्डस्ट्रियल एरिया दिल्ली के अन्तर्गत टीकरी गाँव के डीडीए की जमीन में भरे पानी से अपहर्त 10 वर्षीय बच्चे का शव व घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल ईट का अद्दा व ऑटो बरामद हुआ। शव की शिनाख्त पिता द्वारा कराते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना नरेला दिल्ली को अवगत कराते हुये पंचायतनामा की कार्यवाही थाना नरेला दिल्ली द्वारा की जा रही है। उक्त शव बरामदगी के आधार उपरोक्त अभियोग में धारा 103/61(2)/238 बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ की गई तो अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ राजू ने बताया कि मेरे ऊपर काफी कर्जा था। मैं ढाई लाख रूपये लोन लेने के प्रयास में था तभी मृतक बच्चे के ताऊ नरेश ने मुझे जल्दी लोन दिलाने का भरोसा दिया और मुझसे 15000/- रूपये ले लिये और मेरा लोन भी नही कराया। इसी बात को लेकर मुझे नरेश तथा उसके परिवार से नाराजगी थी और मैंने अपने छोटे लडके रोहित तथा साथी गुड्डू के साथ मिलकर योजना बनाकर मृतक बच्चे को अपने ऑटो में दिनांक 10.07.2025 शाम करीब 9.00 बजे नरेला उत्तरी दिल्ली क्षेत्र में गला दबाकर तथा सिर पर ईंट के अद्दा से चोट मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को छिपाने की नीयत से मैंने व मेरे साथी गुड्डू ने एक सफेद बोरी में डालकर तालाब में फेक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.धर्मेन्द्र उर्फ राजू पुत्र महेन्द्र निवासी महामाया कुंज थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 59 वर्ष।

2. रोहित उर्फ कृष्णा पुत्र धर्मेन्द्र उर्फ राजू निवासी महामाया कुंज थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

3.गुड्डू पुत्र आशिक आलम निवासी डी-540 गली नम्बर-01 अशोक नगर दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त गुड्डू उर्फ जैद मोहम्मद के विरुद्ध मु0अ0स0 266/23 धारा 153ए/295ए/120बी भादवि थाना ज्योति नगर दिल्ली में पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे/निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल ईंट का अद्दा व ऑटो बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 25 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 20.07.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त दिलीप पुत्र सीताराम यादव निवासी ग्रीन सिटी रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को पुस्ता रोड ठोकर न0-09 के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 25 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 111/112 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह अवैध गांजा चोरी छिपे उडीसा राज्य से लेकर आया था और दिल्ली ले जाकर अपने पास छुपाकर रख देता और मौका देखकर किसी को चोरी छिपे बेच देता कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

कांवड़ की वजह से सभी रास्तों पर पुलिस लगी हुई थी। मैंने पुलिस व जनता से बचने के लिये यह गांजा दो बैगों के अन्दर रख लिया था ताकि पूछने पर बता सकूं कि मैं बाजार में कपडे बेचने का काम करता हूँ और बचा हुआ कपडा इस बैंग में रखा है। मैं रात्रि का फायदा उठाकर यमुना के किनारे होकर दिल्ली जाना चाहता था। मैं काफी समय से उडीसा राज्य से चोरी छिपे अवैध गांजा लाकर कम उम्र के लडकों को इस काम में लगाकर संगठित करके दिल्ली आदि क्षेत्रों मे इधर-उधर बेचकर आर्थिक लाभ कमाता हूँ। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त एक शातिर किस्म का गांजा तस्कर है जो पूर्व में उडीसा व मध्यप्रदेश राज्य में गांजा की तस्करी करते हुये पकडा गया। मैं इस काम में भोले-भाले कम उम्र के लडको को लगाकर संगठित होकर अपराध कारित करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दिलीप पुत्र सीताराम यादव निवासी ग्रीन सिटी रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 25 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर अवैध गांजा बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सदोष मानव वध(हत्या) के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.06.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी ने लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 11.06.2025 की रात्रि में ग्राम कनावनी में वादी पक्ष की रखी पानी की बाल्टी में पैर लग जाने को लेकर मारपीट हुई थी। जिसमें कुछ लोगों के चोट आयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर धारा 191(2)/115(2)/117(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में गम्भीर रुप से घायल रामसिंह(मृतक) की उपचार के दौरान जीटीबी अस्पताल दिल्ली में मृत्यु हो गयी। जिसके उपरान्त पंजीकृत अभियोग में सदोष मानव वध का अपराध पाते हुए अभियुक्त के विरुद्ध धारा 105/3(5) बीएनएस की वृद्धि करते हुए आज दिनांक 20.07.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उक्त अभियोग में वाँछित(नामजद) अभियुक्त सुशील उर्फ ठाकुर पुत्र जगवीर निवासी हाल पता कनावनी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम ओहन घाट थाना बागबाला जनपद एटा उम्र करीब 50 वर्ष को पुस्ता रोड़ ठेके के पास इन्दिरापुरम से गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सुशील उर्फ ठाकुर उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दिनांक 11.06.2025 की रात्रि में वादी पक्ष व उसके पड़ोसी पक्ष का पानी से भरी बाल्टी में पैर लग जाने के कारण हुई कहासुनी के दौरान मारपीट में मृतक रामसिंह को काफी गम्भीर चोट लग गयी थी। जिसकी इलाज के दौरान जीटीबी अस्पताल दिल्ली में मृत्यु हो गयी और उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त भी शामिल था। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से इधर-उधर छुपा हुआ था। अभियुक्त आज अपना सामान लेने के लिये जा रहा था। जिसे पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पुस्ता रोड़ ठेके के पास इन्दिरापुरम से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुशील उर्फ ठाकुर पुत्र जगवीर निवासी हाल पता कनावनी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम ओहन घाट थाना बागबाला जनपद एटा उम्र करीब 50 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त सुशील उर्फ ठाकुर उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर सदोष मानव वध(हत्या) के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना कविनगर द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले एक अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से चोरी के दो मोबाइल फोन व 14,130/- रुपये बरामद

दिनांक 19.07.2025 को आवेदक अनिरुद्ध सिंह राणा पुत्र विक्रम सिंह राणा नि0- सी-152 बुलंदशहर रोड इंड्रस्टिल एरिया कविनगर ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के दो मोबाइल व 105000/- रुपये चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण:-

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 20.07.25 को अभियुक्त नीरज सिंह पुत्र विजयपाल सिंह निवासी गांव भडोरा थाना गोण्डा जिला अलीगढ को विवेकानंद पुल के पास चौकी क्षेत्र औधोगिक क्षेत्र से मय चोरी के 14,130 रुपये व दो मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तग से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि सर मैने दिनांक 15.7.2025 की रात्री के समय कंपनी सी152 प्लास्टिक गोदाम के ऑफिस मे रखी अलमारी से बरामद दोनो मोबाईल व 65 हजार रूपये चोरी किये थे जो अपने घरेलू खर्चे व खाने पीने मे खर्च कर लिये मुझसे बरामद 14,130/- रूपये उसी चोरी के शेष बचे रूपये है।, मै छोटी मोटी चोरिया करता रहता हुँ , और इसी से अपना खर्चा चलाता है।

अभियुक्त का नाम पता-

नीरज सिंह पुत्र विजयपाल सिंह नि0 गांव भडोरा थाना गोण्डा जिला अलीगढ उम्र 37 वर्ष

बरामदगी-

1. मोबाइल फोन सैमसंग गैलेक्सी एफ-4 व वनप्लस नॉर्ड सीई-4
2. 14,130/-रुपये

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

थाना कविनगर पुलिस टीम जनपद गाजियाबाद